

CCTV कैमरा अधिष्ठान निविदा से संबंधित अन्य शर्तें :-

1. निविदा दाता/आपूर्तिकर्ता के द्वारा अलग-अलग लिफाफा में Technical Bid एवं Financial Bid समर्पित किया जायेगा, जिसमें सुरक्षित जमा राशि के रूप में ₹ 23000.00 (रुपये तेइस हजार) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, सिमडेगा के पदनाम से भुगतये होगा। Technical Bid खोलने के उपरांत सभी कागजात सही पाये जाने की स्थिति में संबंधित निविदा का Financial Bid खोला जायेगा।
2. निविदाता/आपूर्तिकर्ता के द्वारा Technical Bid में निम्न कागजातों को संलग्न करना अनिवार्य होगा:-
 - I. अद्यतन आयकर प्रमाण पत्र।
 - II. अद्यतन वाणिज्य कर प्रमाण पत्र।
 - III. CCTV कैमरा के लिए अधिकृत विक्रेता/निर्माता होने का प्रमाण पत्र।
 - IV. फर्म/प्रतिष्ठान का काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र।
 - V. उपरोक्त सुरक्षित जमा राशि 23000.00 रुपये का बैंक ड्राफ्ट।
 - VI. CCTV कैमरा आपूर्ति एवं अधिष्ठान हेतु कम से कम 03 (तीन) वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।
- (3) निविदाता के द्वारा Financial Bid में आपूर्ति सामग्री का DGS&D दर से कम दर ही विचारनीय होगा।
- (4) आपूर्तिकर्ता को CCTV कैमरा आपूर्ति एवं अधिष्ठान करने के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (5) CCTV कैमरा का अधिष्ठान का कार्य सिमडेगा के शहरी क्षेत्र में उपायुक्त, सिमडेगा के अनुशांसा के आलोक में किया जायेगा।
- (6) सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति के पश्चात एक माह के अन्दर स्वीकृत CCTV कैमरा का आपूर्ति एवं अधिष्ठान कार्य सम्पन्न करना होगा।
- (7) आवश्यकतानुसार CCTV कैमरा का आपूर्ति एवं अधिष्ठान आदेश दिया जायेगा। आपूर्ति किये जाने वाले उपकरण की संख्या घट-बढ़ सकती है।
- (8) निविदादाता को CCTV कैमरा का कार्य एवं उपयोग के संबंध में पुलिस अधीक्षक एवं जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी के समक्ष Power Point Presentation के माध्यम से जानकारी प्रदर्शित करना होगा तथा नमूना के साथ निविदा खोलने के निर्धारित समय में उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (9) सफल निविदादाता को निःशुल्क 03 (तीन) वर्षों के लिए AMC(Annual Maintenance Contract) करना होगा तथा CCTV कैमरा के संचालन एवं रखरखाव हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।
- (10) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
- (11) पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा एवं जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सिमडेगा को अधिष्ठापित CCTV को हैण्ड ओवर करने तथा उनका संतुष्टि प्रमाण पत्र समर्पित करने के बाद ही अंतिम विपत्र का भुगतान किया जायेगा।
- (11) निविदा से संबंधित अन्य किसी प्रकार की जानकारी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, सिमडेगा के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल,
सिमडेगा